

६
२०५

30.4.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं विपक्षी उपस्थित
विपक्षी 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर बहस ही गई।
इमयवक बहस खुली गई। पत्रावली वास्ते आदेश
दिनांक 14.5.25 को पेश हो।
[Signature]

14.5.25

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम पक्षकार उपस्थित।
प्रार्थी द्वारा यह इजराय मूल वाड प्र.सं. 195/1978
डिबी दिनांक 18.08.1980 के पालन के लिए प्रस्तुत
का कथन किया है कि उक्त डिबी की आधिकारिक
पालन होकर एक आरक्षी अंकन होने से रह गई
है। अर्जीद्वारा स्वयं अपनी प्रार्थी के कथन किया
तथा बहस में स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण के
सम्बन्ध में अपील नानवीय न्यायालय राजस्व मण्डल
अजमेर में बियादाधीन है। उपरोक्त विवेचन के अधीन
ए न्यायालय का विनम्र अभिमत इस प्रकार है।
[Signature]

151
18

27
की
तक

है कि इस न्यायालय की डिडी दिनांक 18.08.1980 अन्तिम
डिडी नहीं की जा सकती है क्योंकि उक्त प्रकरण के समय में
राज्य मण्डल में विचाराधीन प्रकरणों में वक्ष क्विली प्रकरण
के निर्णय की अपील विचाराधीन होने पर प्रार्थी के
केवल मात्र इस स्थान पर ही कोई स्थगन आदेश
वर्तमान में जारी नहीं हो मिलते डिडी न्यायालय द्वारा ही
जावे आयोजित प्रतीत नहीं होगा है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इतराथ प्रकरण की अपील
विचाराधीन होने के खाति की जाती है। निर्णय लेइएताप
सुनाम गदा प्रकरण फौजल शुजा (सूत्र नम्बर से इत है।



[Handwritten Signature]
(शोनिष कुमारी)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर